न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 01/ 2024
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2024/20

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

1. श्री संजय पुत्र प्रभुलाल कलाल निवासी ग्राम कसारवाडी तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा
2. श्री महेन्द्र पुत्र श्री अचरतलाल निवासी ग्राम डुंगरा छोटा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

श्रीमती रतन पत्नी श्री कालु निवासी ग्राम मुनियाखुंटा तहसील सज्जनगढ जिला बांसवाडा

उपस्थित

श्री शाहरुख खान एड्वोकेट

श्री समर पण्ड्या एड्वोकेट

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :– 09–07–2024

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.01.2024 न्यायालय, तहसीलदार सज्जनगढ, जिला बॉसवाडा, द्वारा पारित प्रकरण रतन बनाम संजय व अन्य, प्रकरण संख्या 01/2023–24 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकार अधिनियम, के विरुद्ध पेश की है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये अधिनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने बाबत् प्रस्तुत किया।

अपील दर्ज कर रेस्पोडेंट को जरिये समन सूचित किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 20.02.2024 को रेस्पोडेंट की ओर से श्री देवेन्द्र निगम व श्री शाहरुख खान अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी एवं अपील पर लिखित बहस प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:32:41 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक गोयल)
अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी पर लिखित बहस में मुख्य रुप से उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश से व्यथित होकर किया गया है तथा राजस्व प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक विशिष्ठ अधिनियम है, जिसके अनुसार तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमो के प्रावधानो के अनुसार अपील के लम्बित रहते अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित किये जाने बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने का कोई उपबंध नही है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है।

रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत मूल अपील पर लिखित बहस में मुख्य रुप से उल्लेख किया गया है कि रेस्पोडेंट के द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर अपीलार्थी द्वारा किये गए अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु आवेदन अन्तर्गत 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सज्जनगढ के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दर्ज कर संक्षिप्त विचारण के द्वारा मौके की जॉच कर अपीलार्थीगण को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने व अधिपत्य रेस्पोडेंट खातेदार को सुपूर्द किये जाने का आदेश दिनांक 11.01.2024 को प्रकरण सं. 1 सन् 2023–24 में पारित किया गया। उक्त आदेश निरस्त किए जाने बाबत् अपीलार्थी की ओर से धारा 225 रा.का.अ. के अन्तर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदार कृषक है तथा अनुसूचित जनजाति की सदस्या है। अपीलार्थी जो कि जाति से कलाल होकर सामान्य वर्ग के सदस्य है तथा अपीलार्थीगण के द्वारा प्रार्थीया रेस्पोडेंट की खातेदारी की कृषि भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(44) में वर्णित परिभाषा के अनुसार परिभाषित होता है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा खाते की जमाबंदी के आधार पर संक्षिप्त विचारण से अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित किया है। जो पुरी तरह विधिक प्रावधानो के अनुकुल है।

अपीलार्थी अप्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का उत्तर प्रेषित किया है तथा अपने उत्तर में अपीलार्थी ने जिस खसरा नंबर पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:32:41 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक गोयल)

अपना कब्जा होना अभिलिखित किया है उसी खसरा नंबर बाबत् आवेदन प्रार्थीया रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण, जॉच एवं सरसरी सबूत के आधार पर जिस खसरा नंबर पर अतिक्रमण पाया उस खसरा नंबर की खातेदार प्रार्थीया रेस्पोडेंट है तथा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतया ठोस आधारो पर होकर न्यायसंगत है। अपीलार्थी अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर भी वे वादग्रस्त कृषि भूमि अतिक्रमी सिद्ध है तथा रेस्पोडेंट खातेदार के द्वारा कोई विक्रय इकरार नामा न तो निष्पादित किया है ना ही पत्रावली पर मौजुद है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के अतिक्रमी सिद्ध है तथा वाद ग्रस्त कृषि भूमि का खसरा नंबर का इंद्राज विक्रय करार में नही है इसके विपरीत इस प्रकार का विक्रय करार धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत निषिद्ध है तथा प्रभाव शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिक प्रावधानो एवं न्याय के नेसर्गिक सिद्धान्तो के अनुकुल है।

रेस्पोडेंट की ओर से निम्नानुसार न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किए गए–

1. आरआरडी. 2004 दिप सिंह बनाम बदरीया व अन्य पेज नंबर 768
2. आरआरडी. 2005 प्रभूदयाल बनाम जगदीश नारायण पेज नंबर 272
3. आरआरडी. 2005 कैलाश व अन्य बनाम राम खिलाडी व अन्य पेज नंबर 256

दिनांक 21.05.2024 को उभय पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपील मैमो आधारित बिन्दुओ को दौहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट की किसी प्रकार की कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नही ली गई है। मात्र जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया है। अपीलांट का भूमि पर वर्षो पुराना अधिपत्य चला आ रहा है। अपीलांट की दुकाने बनी हुई है तथा किराणा का व्यवसाय संचालित कर रहा है जिसका ज्ञान रेस्पोडेंट को भली भांति है।

रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 ग राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण धारा 183 ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर निर्णय पारित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:42:41 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक गोयल)
अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

गया है। रेस्पोडेंट ने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 487 खेतनामे कांचली पर अतिक्रमण करना बताया है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इसके विपरित खसरा नंबर 484 से बेदखल करने का आदेश दिया है। उक्त प्रकरण में जो जॉच रिर्पोट मौका पर्चा प्रस्तुत किया गया है उसमें अपीलांट की मौजुदगी नही है तथा जॉच रिपोर्ट करने वाले अधिकारी मौके पर आए ही नही और अपीलांट की जानकारी के बिना ही जॉच रिपोर्ट तैयार कर दिया गया, जॉच रिपोर्ट पर अपीलांट के हस्ताक्षर भी नही है।

अपीलांट का वर्णित भूमि पर आधिपत्य वर्षो पुराना है जिसमे दुकान बनी हुई है। उक्त प्रकरण में मात्र संक्षिप्त कार्यवाही कर अपीलांट के विरुद्ध बेदखली के जो आदेश पारित किये है वह निरस्तनिय है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सज्जनगढ के प्रकरण संख्या 1/2023–24 में आदेश दिनांक 11.01.2024 को निरस्त फरमावे।

रेस्पोडेंट की ओर से उनके अधिवक्ता ने लिखित बहस आधारित बिन्दुओ के अनुसार ही कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदार कृषक है तथा अनुसूचित जनजाति की सदस्या है। अपीलार्थी जो कि जाति से कलाल होकर सामान्य वर्ग के सदस्य है तथा अपीलार्थीगण के द्वारा प्रार्थीया रेस्पोडेंट की खातेदारी की कृषि भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(44) में वर्णित परिभाषा के अनुसार परिभाषित होता है। क्योंकि काश्तकारी अधिनियम एक विशिष्ठ अधिनियम है तथा खातेदार काश्तकार के अधिकारो के संरक्षण बाबत् प्रचलित है। धारा 183 बी के अनुसार कोई भी अनुसूचित जनजाति के खातेदार कृषक की भूमि पर किसी प्रकार से अतिक्रमण कर लेता है तो उसे खातेदार के आवेदन पर प्रकरण का संक्षिप्त विचारण कर जॉच कर अतिक्रमण हटाये जाने का अनुतोष पारित किया जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मौका पर्चा रिपोर्ट एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा खाते की जमाबंदी के आधार पर संक्षिप्त विचारण से अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित किया है। जो पुरी तरह विधिक प्रावधानो के अनुकुल है। अपील अपीलार्थीगण निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। रेस्पोडेंट श्रीमती रत्न पत्नि कालू निवासी मुनीयाखुंटा तहसील सज्जनगढ द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील सज्जनगढ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम मुनियाखुंटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:42:41 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक गोयल)

जमाबन्दी संख्या 156 खसरा नं. 484,485,486,487 कुल 4 खेत कुल रकबा 0.8458 हैक्टेयर भूमि में से खसरा नं.487 पर अपीलांट्स द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने प्रस्तुत किया। तहसीलदार सज्जनगढ द्वारा करवाई गई जॉच एवं मौका रेकार्ड के आधार पर बाद तैयार शुदा रिपोर्ट अनुसार खातेदार श्रीमती रतन पत्नी कालु का खसरा नं. 484,485,486,487 कुल 4 खेत कुल रकबा 0.8458 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त होना पाया गया तथा खसरा नंबर 484 रकबा 0.4452 हैक्टेयर मे से 0.0136 हैक्टेयर भूमि पर कच्चा टिन शेड के रुप में अवैध अतिक्रमण पाये जाने से अन्तर्गत धारा 183 ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुए बेदखली बाबत् आदेश पारित किया गया है।

"अपीलांट का यह कथन कि रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 ग राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर निर्णय पारित किया गया है" के सम्बन्ध में यदि कानून की जानकारी के अभाव अथवा त्रुटि पूर्वक अन्य धारा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस आधार पर निरस्त करना उचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सज्जनगढ द्वारा भी नियमानुसार प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर विधिसंगत निस्तारित किया है।

अपीलांट का यह कथन कि "रेस्पोडेंट ने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 487 खेतनामे कांचली पर अतिक्रमण करना बताया है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इसके विपरित खसरा नंबर 484 से बेदखल करने का आदेश दिया है।" के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन करने पर नजरी नक्षा अनुसार अतिक्रमित टीनशेड मकान खसरा संख्या 484 में स्थित है और उससे बिल्कुल लगता हुआ खसरा नं. 487 है। तहसीलदार सज्जनगढ द्वारा करवाई गई जॉच एवं मौका रेकार्ड के आधार पर बाद तैयार शुदा रिपोर्ट अनुसार खातेदार श्रीमती रतन पत्नी कालु का खसरा नं.484,485,486,487 कुल 4 खेत कुल रकबा 0.8458 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त है तथा खसरा नंबर 484 रकबा 0.4452 हैक्टेयर मे से 0.0136 हैक्टेयर भूमि पर कच्चा टिन शेड के रुप में अवैध अतिक्रमण पाया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:02:41 IST
Reason: SelfAttested

अतः इस प्रकार खातेदार श्रीमती रतन पत्नि कालू जाति भील ग्राम मुनियाखुंटा तहसील सज्जनगढ के खसरा नंबर 484 रकबा 0.4452 हैक्टेयर मे से 0.0136 हैक्टेयर भूमि पर कच्चा टिन शेड के रुप में संजय पुत्र प्रभुलाल व श्री महेन्द्र पुत्र अचरत लाल जाति कलाल का अवैध अतिक्रमण पाये जाने से अन्तर्गत धारा 183 ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर देते हुए बेदखली बाबत् आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत है। अपील अपीलांट के विरुद्ध निर्णित की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सज्जनगढ के प्रकरण संख्या 01/2023–24 निर्णय दिनांक 11.01.2024 को यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 09–07–2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
अति.जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2024.09.20 17:32:41 IST
Reason: SelfAttested